इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 110]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 22 मार्च 2024—चैत्र 2, शक 1946

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 मार्च 2024

क्र. GAD-2-0001-2024-GAD-1-01-(GAD).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) एवं (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश शासन कार्य (आवंटन) नियम में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची में, विद्यमान शीर्षक ''पैंसठ-सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग'' में, भाग (अ) विभाग के अंतर्गत नीति संबंधी विषय में, अनुक्रमांक 13 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों जोड़ी जाएं, अर्थात् :—

"14. स्टार्टअप एवं इन्क्यूबेशन सेंटर को राज्य सहायता, उनका संवर्धन और उनसे संबंधित अधोसंरचना विकास एवं प्रबंधन"

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अजय कटेसरिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 22 मार्च 2024

क्र. GAD-2-0001-2024-GAD-1-01-(GAD) .— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक GAD-2-0001-2024-GAD-1-01-(GAD), दिनांक 22 मार्च 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय कटेसरिया, उपसचिव.

Bhopal, the 22nd March 2024

No. GAD-2-0001-2024-GAD-1-01-(GAD).—In exercise of the powers conferred by clauses (2) and (3) of Article 166 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to make the following further amendments in the Madhya Pradesh Government Business (Allocation) Rules, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules, In the Schedule, in the existing heading "LXV-MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES DEPARTMENT", in Part (A) Matters of Policy dealt within the Department, after serial number 13 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely:—

"14. Providing assistance to Start-ups and Incubation centres for their promotion, infrastructure development and overall management related activities."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, AJAY KATESARIA, Dy. Secy.